छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा तृतीय सत्र अंक-02

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2014

(अग्रहायण 25, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

माननीय अध्यक्ष द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछने हेतु डॉ. विमल चोपड़ा, सदस्य का नाम पुकारा गया।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के अन्य विषय पर चर्चा प्रारंभ करने पर श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने कथन किया कि यह परंपरा नहीं रही है कि प्रश्नकाल में किसी भी विषय में कोई भाषण हो।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई।)

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि उन्होंने कल भी इस संदर्भ में व्यवस्था दी है। किसी के इस्तीफे का विषय इस सदन का विषय नहीं है। माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाए गए।)

डॉ. विमल चोपड़ा, सदस्य द्वारा व्यवधान के बीच अनुपूरक प्रश्न पूछा गया।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा पर्चे लहराए गए।)

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि यह परंपरा नहीं है कि सदन में पर्च लहराये जाएं। कागज अपने पास रख लें।

(सदन की कार्यवाही 11.05 बजे स्थगित होकर 11.17 बजे पुन: प्रारंभ हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाए गए।)

(प्रतिपक्ष के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आये।)

2. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री खेलसाय सिंह, पारसनाथ राजवाड़े, बृहस्पत सिंह, (डॉ.) प्रीतम राम, चिन्तामणी महाराज, टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष, अमरजीत भगत, उमेश पटेल, श्यामलाल कंवर, रामदयाल उइके, सियाराम कौशिक, दिलीप लहरिया, चुन्नीलाल साहू, मोतीलाल देवांगन, जनकराम वर्मा, सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, गुरूमुख सिंह होरा, राजेन्द्र कुमार राय, भूपेश बघेल, अरूण वोरा, श्रीमती तेज कुंवर गोवर्धन नेताम, सर्वश्री मनोज सिंह मंडावी, शंकर ध्रुवा, संतराम नेताम, मोहन मरकाम, लखेश्वर बघेल, दीपक बैज, श्रीमती देवती कर्मा एवं श्री कवासी लखमा।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबन की अवधि पश्चात् निर्धारित करने की घोषणा की।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों ने गर्भगृह में रहकर नारे लगाए।)

3. प्रश्नकाल (क्रमश:)

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 (कुल 1) प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछा गया। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 48 तारांकित एवं 58 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 11.24 बजे स्थगित की जाकर 12.06 बजे पुन: समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने उनके द्वारा निंदा प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों ने गर्भगृह में पर्चे लहराते हुए नारे लगाए। विरोध स्वरूप सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा भी नारेबाजी की गई।)

4. अध्यक्षीय व्यवस्था

संसदीय प्रजातंत्र में संसदीय संस्कृति की रक्षा, सभा और स्वयं की गरिमा बनाये रखना सभी माननीय सदस्यों का दायित्व है।

आज प्रश्नकाल में प्रतिपक्षके 30 माननीय सदस्य एक पोस्टरनुमा कागज लहराते हुए नारेबाजी करते रहे। आसंदी द्वारा सभा की कार्यवाही दस मिनट के लिए स्थगित करने के पश्चात् भी जब पुन: कार्यवाही प्रारंभ हुई, तब भी उन्होंने अपनी नारेबाजी निंरतर जारी रखी और नारेबाजी करते हुए और पोस्टरनुमा कागज लहराते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया।

छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन नियमावली के नियम 250 (1) के अंतर्गत जो सदस्य गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, वे स्वमेव निलंबित हो जाते हैं और निलंबित सदस्यों को सभा कक्ष से बाहर चले जाना चाहिए, किन्तु सदस्यगण सभा कक्ष के बाहर नहीं गये। अपितु गर्भगृह में ही बैठ गये और इस प्रकार इन्होंने इस सभा द्वारा बनाये गये नियमों का उल्लंधन किया।

मैं इस अवसर पर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि सदन के कार्य संचालन की नियमावली इस सदन ने ही बनायी है, जिसके वे अविभाज्य अंग हैं। यदि वे अपने द्वारा बनाये गये नियमों का पालन नहीं करते हैं तो वे स्वयं अपनी ही अवमानना करते हैं।

संसदीय प्रजातंत्र में संसदीय संस्कृति की रक्षा करना एवं इस सभा एवं स्वंय की गरिमा को बनाये रखना सभी माननीय सदस्यों का ही दायित्व है। मैं यह उनके विवेक पर छोड़ता हूं कि अपनी स्वयं की गरिमा को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए उन्हें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने उल्लेख किया कि शासन हर प्रकार की चर्चा कराने के लिए तैयार है एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही में भाग लेने का आग्रह किया।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों ने गर्भगृह में रहकर नारे लगाए।)

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

1. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 9116/3306/21-ब/छ.ग./12, दिनांक 26 नवबंर, 2012,
2. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वार्षिक बजट वर्ष 2014-15 के संदर्भ में प्रथम तथा द्वितीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा, तथा
3. श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार-
   (i) अधिसूचना क्रमांक एफ 1-20/2010/32, दिनांक 21 जुलाई, 2014,
   (ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 1-20/2010/32, दिनांक 26 अगस्त, 2013,
   (iii) अधिसूचना क्रमांक एफ 1-20/2010/32, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 एवं
   (iv) अधिसूचना क्रमांक एफ 1-20/2010/32, दिनांक 20 नवबंर, 2014,

पटल पर रखे।

(सदन की कार्यवाही 12.13 बजे स्थगित की जाकर 1.08 बजे पुन: समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

6. अध्यक्षीय व्यवस्था

मैंने परिवार नियोजन कैंप में नसबंदी आपरेशन के पश्चात् हुई महिलाओं की मृत्यु से संबंधित प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को कल सदन में लिया था, किंतु सदन में उपस्थित रहते हुए भी सूचना देने वाले सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। माननीय सदस्यों ने आज पुन: स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जिसमें मुख्यत: कल लिये गये स्थगन प्रस्ताव के ही तथ्य दिये गये हैं। इसमें स्थगन के योग्य कोई नया तथ्य नहीं है। मैंने

स्थगन प्रस्ताव को कक्ष में ही अग्राह्य कर दिया है। अब इस विषय पर सभा में किसी प्रकार की चर्चा की अनुमति नहीं देता।

7. निलंबन समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने नियम 250 क के अंतर्गत निलंबित सदस्यों के निलंबन की अवधि समाप्त करने की घोषणा की।

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य द्वारा पुन: निंदा प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि इस प्रस्ताव को कल ही अमान्य कर दिया गया है।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री, श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री, श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री एवं श्री देवजी पटेल, सदस्य द्वारा भी निंदा प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि यह सदन नियमों के आधार पर चलता है और नियमों के तहत निंदा प्रस्ताव को कल ही कक्ष में खारिज कर दिया गया है।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री लखन लाल देवांगन

(2) श्री केशव चंद्रा

9. वर्ष 2014-2015 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2014-2015 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

माननीय अध्यक्ष ने अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 की तिथि निर्धारित की।

10. संकल्प

"यह सदन, भारत के संविधान में उस संशोधन का अनुसमर्थन करता है जो, संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक (ख) की व्याप्ति के अंतर्गत आता है और जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित है।"

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री देवजी पटेल, लाभचंद बाफना, अवधेश सिंह चंदेल एवं नवीन मारकण्डेय।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

संकल्प स्वीकृत हुआ।

(माननीय अध्यक्ष ने कार्यसूची में दर्ज समस्त कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 17 सन् 2014)

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 17 सन् 2014) पर विचार किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक के अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 17 सन् 2014) पारित किया जाय एवं संक्षिप्त उत्तर दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(2) छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2014
(क्रमांक 18 सन् 2014)

श्री पुन्नूलाल मोहले, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 18 सन् 2014) पर विचार किया जाए एवं संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री लाभचंद बाफना, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 5 इस विधेयक के अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री पुन्नूलाल मोहले, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 18 सन् 2014) पारित किया जाय एवं संक्षिप्त उत्तर दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(3) छत्तीसगढ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2014
(क्रमांक 19 सन् 2014)

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 19 सन् 2014) पर विचार किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 19 सन् 2014) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(4) अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 20 सन् 2014)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षामंत्री ने प्रस्ताव किया कि अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 20 सन् 2014) पर विचार किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री संतोष उपाध्याय एवं श्री देवजी पटेल, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षामंत्री ने प्रस्ताव किया कि अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 20 सन् 2014) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(5) छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 21 सन् 2014)

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 21 सन् 2014) पर विचार किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 21 सन् 2014) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 2.14 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 (अग्रहायण, 26 शक संवत् 1936) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा